

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 187/16 दावा

दायरा दिनांक :- 27.12.2016

निर्णय दिनांक :- 27.4.17

उनवान

राजसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति जाट निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. प्रेमलता पुत्र अजीतसिंह जाति जाट निवासी सारथल।
2. नाथूलाल पुत्र गोपीलाल जाति खाती निवासी सारथल।
3. जगदीशप्रसाद पुत्र हीरालाल जाति खाती निवासी सारथल हालनिवासी 4-घ-8 विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा
4. सुरेश कुमार पुत्र गौकुलप्रसाद जाति खाती निवासी सारथल हाल निवासी 4-घ-13 विज्ञान नगर कोटा।
5. मिथलेश कुमार पुत्र गौकुल प्रसाद जाति खाती निवासी सारथल हालनिवासी उदयपुर।
6. अनिता कुमारी पुत्री गौकुल प्रसाद जाति खाती निवासी हाल नोरडा दिल्ली।
7. रमादेवी पत्नी गौकुल प्रसाद जाति खाती निवासी 4-घ-13 विज्ञान नगर कोटा।
8. अशोक पुत्र कृष्ण मुरारी जाति खाती निवासी सारथल हालनिवासी खेडली फाटक कोटा।
9. किरन उर्फ बेबी पुत्री कृष्णमुरारी पत्नी नामालुम जाति खाती निवासी हाल रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।
10. प्रेमबाई पत्नी कृष्णमुरारी जाति खाती निवासी हाल खेडलीफाटक कोटा।
11. हेमन्त कुमार पुत्र हुकमचन्द जाति खाती निवासी सारथल
12. उमेशकुमार पुत्र हुकमचन्द जाति खाती निवासी सारथल हालनिवासी एम्स चिकित्सालय जोधपुर।
13. कौशल्याबाई पत्नी हुकमचन्द जाति खाती निवासी सारथल
14. कालू पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सारथल
15. भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सारथल
16. कमलाबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी द्वारकीलाल जाति धाकड निवासी सारथल हालनिवासी बडाव तहसील छीपाबडौद जिला बारां।
17. गुलाब पुत्री भँवरलाल जाति धाकड निवासी सारथल
18. भैरूलाल पुत्र गिरधारी जाति धाकड निवासी सारथल
19. धनजी पुत्र गिरधारी जाति धाकड निवासी सारथल
20. द्वारकालाल पुत्र गिरधारी जाति धाकड निवासी सारथल
21. भरोस पुत्री गिरधारी जाति धाकड निवासी सारथल
22. रेखा पुत्री गिरधारी जाति धाकड निवासी सारथल


उपखण्ड अधिकारी ।
छीपाबडौद जिला बारां

(2)


23. जयराम पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
24. रामकल्याण पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
25. गिरधारी पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
26. बलराम पुत्र नेनगराम जाति धाकड निवासी देवरीकला जागीर तहसील मनोहरथाना
27. मदन पुत्र नेनगराम जाति धाकड निवासी देवरीकला जागीर तहसील मनोहरथाना
28. बाबूलाल पुत्र नेनगराम जाति धाकड निवासी देवरीकला जागीर तहसील मनोहरथाना
29. गीताबाई पुत्री नेनगराम पत्नी नाथूलाल जाति धाकड निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबडौद
30. कलावतीबाई पुत्री नेनगराम पत्नी जमनालाल जाति धाकड निवासी गगचाना तहसील छीपाबडौद
31. जगन्नाथ पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड निवासी देवरीकला जागीर तहसील मनोहरथाना
32. नन्दकिशोर पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
33. जमनालाल पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
34. ललताबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी मांगीलाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
35. देवबाई पुत्री दल्ला पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
36. घनश्याम पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
37. रामनारायण पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
38. द्वारकालाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
39. कन्याबाई पुत्री हीरालाल पत्नी छीतरलाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
40. मथरीबाई पत्नी हीरालाल जाति धाकड निवासी सारथल ।
41. रामप्यारीबाई पुत्री दल्ला जाति धाकड निवासी सारथल ।
42. चतरू पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी सारथल ।
43. रमानाथ पुत्र नारायण जाति माली निवासी सारथल ।
44. देवीशंकर पुत्र नारायण जाति माली निवासी सारथल ।
45. रामगोपाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी सारथल ।
46. दाखोंबाई पुत्री नारायण पत्नी नारायण जाति माली निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद
47. गोपाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी सारथल ।
48. बंशी पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी सारथल ।
49. जमना पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी सारथल ।
50. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी जिला बारां ।
51. शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल ।
52. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 27.4.17

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री अशोक कुमार पारीक
2. श्री बृजराज सिंह

वादी
प्रतिवादी


उपसंहार अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

(4)

विभाजन कराकर अलग खाते दर्ज करवाना चाहता है। वादी को शामिल की खाते में अपने हिस्से की आराजी का विकास करना सम्भव नहीं है, तथा लगान जमा कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी में हिस्सा 1/6 पृथक-पृथक विभाजन कर खाता अलग दर्ज किया जावे।


बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम सारथल में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा खाता विभाजन करवाने के लिये सह खातेदारान से कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराना चाहती है। प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अधोपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2070-73 खाता संख्या 230 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 49 के शामिल की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें वादी राजसिंह पुत्र अजीतसिंह कोम जाट सा.देह का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमलता जोजे अजीतसिंह जाति जाट का हिस्सा 1/6 दर्ज होना पाया जाता है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्सा 1/6, 1/6 का विभाजन कराना चाहते हैं। वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सारथल तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 204 रकबा 36.14 बीघा, खसरा नंबर 205 रकबा 12.17 बीघा, खसरा नंबर 206 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नंबर 207 रकबा 38.09 बीघा, खसरा नंबर 208 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नंबर 213 रकबा 1 बीघा कुल 6 कित्ता रकबा 93.17 बीघा में वादी का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6 मौके पर कब्जे अनुसार पृथक-पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी
छीपाबडौद जिला बा